उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि अनुभाग – 2
संख्या / 7195 / 12–2–2006 –एस–2 / 84
लखनऊ : दिनांक 2 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा – 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा – 3 के अधीन बनाये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या – 3448 / 12–2–95–एस–2 / 84 दिनांक 07 दिसम्बर, 1995 का आंशिक संशोधन करके राज्यपाल संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) के स्थान पर अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश को अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करते हैं और निर्देश देते है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

जे. एस. मिश्र
प्रमुख सचिव

संख्या – 7195 [1] / 12–2–2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, लखनऊ।
7. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र., लखनऊ को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. निजी सचिव, मा. कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से
ह.
(आर. एन. राम)
विशेष सचिव